रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 1972/श्रावण 12, 1894

No. 361] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 1972/SRAVANA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd August 1972

S.O. 517(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Natraj Spinning & Weaving Mills Ltd., Nirmal, Adilabad District, A. P., an industrial undertaking in respect of which an Investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly deterimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation, (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely the Natraj Spinning & Weaving Mills Ltd., subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this notified order.

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

This order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 3/25/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1972

का० आ० 517(अ) 18ए/आई० डी० आर० ए०/72.—यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि नटराज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, निर्मल, जिला अदीलाबाद, आंध्र प्रदेश, नामक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन एक जांच की गई है, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (इसमें जिसे एतदोपरान्त प्राधिकृत नियन्त्रक कहा जाएगा) को नटराज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० नामक उक्त सम्पूर्ण उपक्रम का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है; अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियन्त्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा ।

(2) प्राधिकृत नियन्त्रक इस अधिसूचित आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझेगी, तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है ।

यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० 3/25/72-सी०यू०सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972